न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 58/2019

निर्णय दिनांक :– 30-10-2019

राजकुमार पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बीरमसर तहसील रतनगढ

... वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बीरमसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ

..प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री रोहिताषसिंह अभिभाषक वादी
2. श्री खेमाराम प्रजापत, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 01
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 एवं 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन के लिए दिनांक 13.9.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Saini 30.10.19

उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (चूरू)

2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के दो खेत ख.नं. 563/333 तादादी 0.0537 हैक्टेयर व ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टयर कुल तादादी 3.1394 हैक्टयर रोही ग्राम बीरमसर तहसील रतनगढ में स्थित है। वर्तमान राजस्व

Scanned by CamScanner

अभिलेखों में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। मौखिक रूप से मौके पर बंटवारा कर रखा है। ख.नं. 566/373 का उत्तरी तरफ का 1/2 हिस्सा व ख.नं. 363/333 की सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से में तथा ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टयर में से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के हिस्से में रखी गई है। ख.नं. 363/333 की भूमि के बदले में गांव का रिहायशी मकान प्रतिवादी सं. 1 को दिया गया है।

3. वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त चली आने के कारण उपभोग उपयोग में कठिनाई आती है। दिनांक 1.9.2019 को वादी द्वारा खाता विभाजन का निवेदन करने पर प्रतिवादी ईन्कार हो गया इसलिए वाद हेतुक प्राप्त है।

4. वादगत भूमि ग्राम बीरमसर तह. रतनगढ की रोही में स्थित है। जो न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

5. अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वादगत भूमि में से वादी के हिस्से की खेत ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टर का उत्तरी तरफ का 1/2 हिस्सा व ख.नं. 363/333 की 0.0537 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से में तथा ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टयर में से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के हिस्से में रखी जाकर दावा डिक्री फरमाया जावे।

6. वादी राजकुमार एवं प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र की ओर से दिनांक 23.10.2019 को न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा दावा को दोनो पक्षों की ओर से स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया । राजीनामा दिनांक 23.10.2019 को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अनुसार राजीनामा में वादी के हिस्से में खेत ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टर का उत्तरी तरफ का 1/2 हिस्सा व ख.नं. 363/333 की 0.0537 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से में तथा ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टयर में से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र

30.10.19
उप खण्ड अधि...
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

के हिस्से में रखी गई है। पैरोकार राज की ओर से विभाजन में कोई आपति नही की गई है। अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी जरिये राजीनामा अतिंम रूप से डिक्री किया जाता है। वादी के हिस्से में खेत ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टर का उत्तरी तरफ का 1/2 हिस्सा की 1.54285 हैक्टयर व ख.नं. 363/333 की 0.0537 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के हिस्से में ख.नं. 566/373 तादादी 3.0857 हैक्टयर में से दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा की 1.54285 हैक्टर भूमि रखी जाती है। तदनुसार खाता एवं लगान का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अकंन किया जावे। अतिंम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 30-10-2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

30.10.19

(डॉ. गौरव सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: